भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1384

28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- तमिलनाडु में पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन और प्रभाव

1384. श्री अ. मनिः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में बार-बार होने वाली पानी की कमी और बागवानी पर निर्भरता को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (प्रति बूंद अधिक फसल) के कार्यान्वयन और इसके प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या धर्मापुरी में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों का वर्तमान कवरेज आम, श्री अन्न (मिलेट), सब्जियों और अन्य फसलों की खेती करने वाले छोटे और सीमांत किसानों की सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार धर्मापुरी जिले में किसानों के लिए सरल प्रक्रिया, संवर्धित जागरूकता अभियान, तकनीकी सहायता और समय पर सब्सिडी सहायता के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा की सुलभता का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत धर्मापुरी जिले में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने, सिंचाई कवरेज में सुधार करने, फसल उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल कृषि को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) 'प्रति बूंद अधिक फसल' (पीडीएमसी) को वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक तमिलनाडु सहित संपूर्ण देश में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से, यह योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवीवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है।

तमिलनाडु राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में पीडीएमसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में किसान इन्हें अपना रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाने से किसानों को अधिक क्षेत्र में खेती करने और सिंचाई की पारंपरिक विधियों की तुलना में अधिक उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परिणामस्वरूप, किसानों की आजीविका और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

(ख) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पीडीएमसी योजना के तहत वित्तीय राशि का लगभग 80% हिस्सा छोटे /सीमांत किसानों को आवंटित किया जाता है। धर्मपुरी जिले में अधिकांश किसान छोटे /सीमांत श्रेणी में आते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाने से किसान पूरे वर्ष खेती करने में सक्षम हो रहे हैं, जिससे सतत कृषि उत्पादन सुनिश्चित हो रहा है। तमिलनाडु में, पीडीएमसी योजना और राज्य सरकार के अतिरिक्त हिस्से के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए 100% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों पर वित्तीय बोझ कम होता है। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म सिंचाई घटकों पर लागू 5% जीएसटी भी राज्य सरकार अपने अतिरिक्त हिस्से से वहन करती है। धर्मपुरी जिले में, वर्ष 2015-16 में योजना की शुरुआत से अब तक 94982 हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ग): राज्य सरकार ने सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई तक पहुंच बढ़ाने के लिए पहल की है अर्थात् लाभार्थियों के पंजीकरण से लेकर अंतिम निधि जारी होने तक की सभी प्रक्रियाएं पोर्टल के माध्यम से की जाती हैं, जिससे पारदर्शिता, समय पर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, किसानों को पोर्टल के माध्यम से उनके आवेदनों की स्थिति के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाती है, जिससे वे अपने आवेदन की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। किसानों में पीडीएमसी योजना के बारे में जागरूकता विस्तार अधिकारियों द्वारा फील्ड विज़िट, जनसंपर्क कार्यक्रमों, किसान शिकायत दिवस, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों और इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया माध्यमों से प्रदान की जाती है। विस्तार अधिकारी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के रखरखाव, एसिड ट्रीटमेंट आदि के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं।

(घ): राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बार-बार होने वाली जल संकट की समस्या और बागवानी फसलों की प्रधानता के मद्देनज़र धर्मपुरी जिले को निधि आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। उपलब्ध भूजल के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने और किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि की ओर उन्मुख करने के लिए जिले में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्र को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
